



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 09, 1940

No. 289]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/ SHRAVANA 09, 1940

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018

(2018 का संख्या 2)

सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2018 का संख्या 2)—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) के उप-खंड (ए), (बी), (डी), (ई), (जे) और (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एतद्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2), में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 2) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 2(1) (ड) के बाद ड(क) के रूप में निम्नलिखित नई परिभाषा की प्रविष्टि:-

“अक्षम व्यक्ति” इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी भी ‘शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने या निर्णय लेने में असमर्थ है;

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 19(क) के अंत में पूर्ण विराम को “ : ” से प्रतिस्थापन एवं विनियम 19(क) के बाद निम्नलिखित की प्रविष्टि:-

परन्तु यह कि निवासी की जन्म तिथि केवल एक बार अद्यतित की जा सकती है। यदि जन्म तिथि का एक से अधिक बार अद्यतित किया जाना हो, तो यह केवल अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिए निवासी को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) में जाने की आवश्यकता होगी।

4. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 19 के बाद नए विनियम 19ए की प्रविष्टि .-

19ए अद्यतन डेटा का सत्यापन :-

विनियम 19 में निर्धारित निवासियों की जानकारी अद्यतन करने की विधियों के माध्यम से अद्यतन डेटा का सत्यापन अनुसूची-III में दिए गए अनुसार होगा।

5. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 की अनुसूची-III में संशोधन .-

- अनुसूची-III के शीर्षक में "नामांकन सूचना" शब्द के बाद "और अद्यतन" शब्द प्रविष्टि किया जाएगा;
- अनुसूची-III के शीर्षक में "विनियम 10(5)" शब्द के बाद "और विनियम 19ए" शब्द प्रविष्टि किया जाएगा;
- अनुसूची-III में "जन्म की तारीख" फील्ड के "सत्यापन प्रक्रिया" के अधीन, "जन्म तिथि" का अद्यतन केवल सत्यापित के रूप में ही स्वीकार होगा" को प्रविष्टि किया जाएगा;
- अनुसूची-III में "जन्म की तारीख" फील्ड के "अपेक्षित सत्यापन?" के अधीन "हाँ" प्रविष्टि किया जाएगा।

6. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 9 (घ) और 9(च) के तहत निम्नानुसार प्रविष्टि और विलोपन .-

- 9 (ख) के अंत में 'और' हटा दिया जाएगा। 9(ग) के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर ';' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 9 (घ) एक व्यक्ति, जिसने व्यस्कता की आयु अर्थात् अठारह वर्ष पूरे न किए हों, के मामले में नामांकन एजेंसी ऐसे अव्यस्क व्यक्ति के माता-पिता/संरक्षक को विनियम 9(क), (ख) और (ग) के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण करेगी; और
- 9 (च) अक्षम व्यक्ति के मामले में, नामांकन एजेंसी अक्षम व्यक्ति के लिए न्यायालय या अन्य कानून के अधीन नियुक्त कानूनी संरक्षक को विनियम (क), (ख) और (ग) के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण करेगी।

7. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 की अनुसूची-I में संशोधन .-

आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 की अनुसूची-I में प्रपत्र "आधार नामांकन/त्रुटिशोधन फॉर्म" के अंत में निम्न की प्रविष्टि की जाएगी।

"(नोट: नाबालिग के मामले में हस्ताक्षर अभिभावक/संरक्षक द्वारा किया जाएगा। अक्षम व्यक्ति के मामले में अक्षम व्यक्ति के कानूनी अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।)"

8. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 19(ख) और 19(ग) में संशोधन .-

- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016, के विनियम 19(ख) में "जनसांख्यिकीय" शब्द को "पता" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016, के विनियम 19(ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ग) आधार पता अद्यतन पिन सेवा का उपयोग करके पता अद्यतित करना : जिन निवासियों के पास पते का स्वीकार्य प्रमाण नहीं है, वे गोपनीय पिन वाले आधार पत्र के माध्यम से अपने पते के सत्यापन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। एक बार निवासी को पत्र प्राप्त हो जाता है, तो वह एसएसयूपी ऑनलाइन पोर्टल पर आधार में अपना पता अद्यतित करने के लिए गोपनीय पिन का उपयोग कर सकता है।

9. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 की अनुसूची - IV को विलोपित किया जाएगा।

डा. अजय भूषण पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 164 / 18]

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

(No. 2 of 2018)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13) (No. 2 of 2018).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (a), (b), (d), (e), (j) and (v) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 (No. 2 of 2018).
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of following new definition as 1(a) after Regulation 2(1) (I) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.—

“Incapacitated Person” for the purpose of this Regulation, means a person who is unable by reason of any physical or mental condition to receive and evaluate information or to communicate decisions;

3. ‘.’ at the end of Regulation 19 (a) shall be replaced with ‘:’ and insertion of following after Sub- Regulation (a) of Regulation 19 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

Provided that the date of birth of resident can be updated only once. In case the date of birth is to be updated more than once, it can only be done through an exception handling process which may require the resident to visit the Regional Office (RO) of the UIDAI.

4. Insertion of new Regulation 19A after Regulation 19 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

19A. Verification of update data. —

Verification of the update data through the modes of updating residents’ information prescribed at Regulation 19 shall be as provided in the SCHEDULE III.

5. Amendment to SCHEDULE III of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

- i. In SCHEDULE III heading after the words “Verification of enrolment”, the words “and Update” shall be inserted;
- ii. In SCHEDULE III heading after the words “See Regulation 10(5)”, the words “and Regulation 19A” shall be inserted;
- iii. In SCHEDULE III under the “Verification Procedure” of the field “Date of Birth”, “Update of DOB is only allowed as Verified” shall be inserted;
- iv. In SCHEDULE III under the “Verification Required?” of the field “Date of Birth”, “Yes” shall be inserted.

6. Insertion of Regulation 9(d) and 9(e) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 and deletion as follows.-

- (i) ‘and’ at the end of 9(b) shall be deleted. ‘.’ at the end of 9(c) shall be replaced with ‘;’
- (ii) 9(d) in case of an individual who has not attained the age of majority that is eighteen years, enrolling agency shall make disclosure of information in accordance with Regulation 9(a), (b) and (c) to parent/guardian of such minor; and

- (iii) 9(e) in case a person is incapacitated, enrolling agency shall make disclosure of information in accordance with Regulation 9(a), (b) and (c) to the Legal Guardian appointed by Court or under any other law for the incapacitated person.

7. Amendment to SCHEDULE I of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

In Schedule I of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, at the bottom of the form “Aadhaar Enrolment/Correction Form”, following shall be inserted.

“(Note: In case of minor, the signature will be done by parent/guardian. In case of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person)”

8. Amendment to Regulation 19(b) and 19(c) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

- i. In Regulation 19(b) of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the word “Demographic” shall be replaced by the word “Address”.
- ii. Regulation 19(c) of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, shall be substituted as below:
 - (c) Address Update using Aadhaar Address Update PIN service: Residents who are not having acceptable proof of Address may submit their request for address verification through Aadhaar letter having secret PIN. Once the letter is received by the resident, he/she can use the secret PIN to update his/her address in Aadhaar on the SSUP online portal.

9. SCHEDULE IV of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 shall be deleted.

DR. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Extry./164/18]